संख्या:11/1869/पैंतीस-2-2014-3/39(36)/2013

प्रेषक,

जे0बी0सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आर्थिक बोध एवं संख्या निदेशक,
उ0प्र0, लखनऊ।
2. निदेशक, कृषि,
उ0प्र0 लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 12 दिसम्बर,2014

विषय- वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए "सांख्यिकीय प्रणाली में सुधार" योजना के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या: 767/ले0-33/2011, दिनांक 03.09.2014 का संदर्भ ग्रहण करे, जिसके द्वारा तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के परिप्रेक्ष्य में "सांख्यिकीय प्रणाली में सुधार" योजना के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा अवमुक्त धनराशि रू0 14.00 करोड़ के सापेक्ष रू0 981.42 लाख की स्वीकृति निर्गत किये जाने का प्रस्ताव किया गया है।

2- आपसे प्राप्त प्रस्ताव के क्रम में शासन के आदेश संख्या-1696/35-2-2014, दिनांक 02 दिसम्बर, 2014 द्वारा पुनर्विनियोग के माध्यम से अनुदान संख्या-40 के लेखाशीर्षक 3454-जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-आयोजनेत्तर-001-निदेशन तथा प्रशासन-05-तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के परिप्रेक्ष्य में सांख्यिकीय प्रणाली में सुधार हेतु अनुदान के अन्तर्गत निम्नलिखित मानक मदों में धनराशि की व्यवस्था निम्नवत हो गई है :-

मानक कोड	मद	धनराशि
1	2	3
04	यात्रा व्यय	62,50,000
07	मानदेय	5,46,52,000
11	लेखन सामग्री व फार्मो की छपाई	86,82,000
12	फर्नीचर एवं उपकरण	20,81,000
13	टेलीफोन पर व्यय	15,00,000
15	गाडियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद	55,85,000
16	व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	10,00,000
42	अन्य व्यय	10,00,000
44	प्रशिक्षण हेतु यात्रा व अन्य प्रासंगिक व्यय	3,56,47,000
46	कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	2,35,47,000

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि तेरहवें वित्त् आयोग की संस्तुतियों के क्रियान्वयन हेतु सांख्यिकीय प्रणाली में सुधार हेतु अनुदान योजना के अन्तर्गत प्राप्त प्रस्ताव पर सम्यक विचारोंपरान्त निम्नवत विवरण के अनुसार रू0 9,56,42,000/- (रूपयें नौ करोड़ छप्पन लाख बयासिल हजार मात्र) की धनराशि निदेशक, अर्थ एवं संख्या

प्रभाग तथा रू0 25,00,000/- (रूपयें पच्चीस लाख मात्र) की धनराशि निदेशक, कृषि, उ0प्र0 लखनऊ के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

कोड सं0	मद	वर्ष 2014-15 के लिए स्वीकृत धनराशि		कुल धनराशि (रू0 में)
		अर्थ एवं संख्या प्रभाग	कृषि विभाग	
1	2	3	4	5
04	यात्रा व्यय	37,50,000	25,00,000	62,50,000
07	मानदेय	3,98,42,000	-	3,98,42,000
11	लेखन सामग्री एवं फार्मो की छपाई	82,00,000	-	82,00,000
12	फर्नीचर एवं उपकरण	14,00,000	-	14,00,000
13	टेलीफोन पर व्यय	10,00,000	-	10,00,000
15	मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद	45,50,000	-	45,50,000
16	व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	10,00,000	-	10,00,000
42	अन्य व्यय	10,00,000	-	10,00,000
44	प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	2,69,00,000	-	2,69,00,000
46	कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	80,00,000	-	80,00,000
	कुल योग	9,56,42,000	25,00,000	9,81,42,000

4- यह स्वीकृति वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22.07.2014 में उल्लिखित शर्ते एवं प्राविधानों के अन्तर्गत प्रदान की गई है, जिसका कड़ाई से पालन किया जाय।

5- निदेशक, कृषि विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष होने वाले व्यय की सूचना निर्धारित रूपपत्र पर निदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभाग को उपलब्ध कराई जायेगी तथा व्यय न हो सकने वाली धनराशि को तत्काल समर्पित किया जाना होगा।

6- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय निर्धारित मदों के समक्ष अंकित धनराशि तक ही सीमित रखा जाय। यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का प्रदेशन (एलाटमेन्ट) अन्य किसी प्रकार के व्यय का प्राधिकार नहीं देता है। अतः व्यय करने के पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल व वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासन अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने के पूर्व प्रत्येक दशा में शासन/सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

7- वस्तुओं का क्रय करते समय उ0प्र0 स्टोर परचेज रूल्स तथा शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित तदविषयक आदेशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8- आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा स्वीकृत धनराशि का आहरण कोषागार से तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा।

9- शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है, अतः व्यय करते समय मितव्ययिता के संबंध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

10- व्यय करने के पूर्व भारत सरकार के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कर लिया जाय।

http://shasanadesh.up.nic.in

11- इस संबंध में होनेवाला व्यय वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुदान संख्या-40 के लेखाशीर्षक 3454-जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकीय-02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकीय-आयोजनेत्तर-001-निदेशन तथा प्रशासन-05- तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के परिप्रेक्ष्य में सांख्यिकीय प्रणाली में सुधार हेतु अनुदान के अन्तर्गत सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(जे0बी0सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या:11/1869(1)/पैतीस-2-2014-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम व द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम व द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. वरिष्ठ आडिट आफीसर (आडीटर प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार लेखा परीक्षा, सत्य निष्ठा भवन, 15 थर्नहिल रोड, इलाहाबाद।
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
5. वित्त (लेखा) अनुभाग-1
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त केन्द्रीय सहायता अनुभाग।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जे0बी0सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in